न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री अखिलेश कुमार पिपल, आर. ए. एस.

अपील संख्याः– 40/2017 (223 आर. टी. एक्ट)

उनवान

1. बृजमोहन पुत्र श्री चिरंजी } जाति जाट निवासीयान थून तहसील नगर जिला भरतपुर।
2. तुलसी पुत्र श्री गिर्राज }

.....अपीलांट।

बनाम

1. अमर सिंह पुत्र श्री रामस्वरूप जाति जाट निवासी थून तहसील नगर जिला भरतपुर।
2. हरीदत्त
3. योगेश कुमार } पिस0 श्री उमाशंकर } जाति ब्राहम्ण नि0 ग्राम थून तहसील नगर जिला भरतपुर।
4. हेमन्त कुमार
5. अशोक कुमार पुत्र श्री गोपाल सिंह

.....असल रैस्पो0

6. प्रवीन कुमार पुत्र श्री खैमचन्द जाति जाट निवासी थन तहसील नगर।
7. उस्मान } वारिसान फजरू खॉ पुत्र श्री छुट्टना जाति मेव नि0 थून तह0 नगर जिला भरतपुर।
8. मुवीन
9. जाकर
10. तोफीक
11. शिवगणेश पुत्र श्री धर्म सिंह } जाति जाट निवासीयान थून तहसील नगर जिला भरतपुर।
12. भोजराज पुत्र श्री विजयपाल
13. दिनेश पुत्र श्री विजयपाल
14. कमलेश पुत्र श्री विजयपाल
15. तस्वीरा पुत्री श्री विजयपाल
16. मुक्ती पुत्री श्री विजयपाल
17. तहसीलदार तहसील नगर, जिला भरतपुर।

..... तरतीवी रेस्पोंडेंट।

अपील विरूद्ध निर्णय व डिक्री दिनांक 14.12.2016 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नगर प्रकरण संख्या 96/2013 उनवानी अमर सिंह बनाम हरीदत्त।

उपस्थितिः–

1. श्री हनुमान प्रसाद गोयल वकील अपीलांट।
2. श्री राजेन्द्र सिंह, शशि बंसल, राजेश कुमार सोगरवाल वकील रेस्पोंडेंट।

अखिलेश कुमार पिपल
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज०)

दिनांक–18.03.2021

निर्णय

1. यह अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नगर के निर्णय व डिक्री दिनांक 14.12.2013 के विरूद्ध पेश की गई है। संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में वादी/रैस्पो0 संख्या 01 ने एक दावा विरूद्ध प्रतिवादी/अपीलाण्ट, शेष रैस्पो0 02 लगायत 05 व तरतीवी रैस्पो0 इस आशय का प्रस्तुत किया कि आराजी खसरा नम्बर 1345 वाके ग्राम थून तहसील नगर जिला भरतपुर मे से प्रतिवादी/रैस्पो0 संख्या 02 लगायत 05 ने जरिये रजिस्टर्ड वयनामा दिनांक 24.06.2013 को 19 विस्वा वादी/रैस्पो0 संख्या 01 को वय कर मौके पर दखल व कब्जा दे दिया तथा वयनामा के बाद से वादी/रैस्पो0 संख्या 01 का विवादित आराजी पर कब्जा काश्त चला आ रहा है। प्रतिवादी/अपीलाण्ट, शेष रैस्पो0 संख्या 02 लगायत 05 व तरतीवी रैस्पो0 का विवादित आराजी से कोई संबंध सरोकार कभी नहीं रहा है। परन्तु राजस्व रिकार्ड में गलत इन्द्राजो के आधार पर वह विवादित आराजी को पुनः बेचान करने पर आमदा हैं। वादी अपने खातेदारी की घोषणा व विभाजन करा पाने का अधिकारी है। अतः वाद प्रस्तुत कर उक्तानुसार डिक्री किये जाने का निवेदन किया। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर, बाद सुनवाई अपीलाधीन आदेश से डिक्री करते हुये, तहसीलदार नगर से विभाजन प्रस्ताव तैयार कर भिजवाने हेतु आदेशित किया। जिससे व्यथित होकर प्रतिवादी/अपीलाण्ट द्वारा यह अपील इस न्यायालय में पेश की गयी है।

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोंडेंट एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया। बहस उभयपक्ष सुनी गई।

3. अपीलाण्ट के विद्वान अभिभाषक द्वारा अपील मीमो में अंकित तथ्यो को दौहराते हुये तर्क दिये कि सुयोग्य अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री विधि एवं तथ्य के विरूद्ध है। अधीनस्थ न्यायालय ने दावा एवं जवाब दावा प्रवीन कुमार, शिवगणेश, अपीलाण्ट के आधार पर कोई तनकीयात कायम नहीं की गयी है एवं बिना तनकीयात कायम किये महज कयासो के आधार पर अपीलाधीन आदेश पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय में दावा घोषणात्मक अधिकारो के लिये था किंतु अधीनस्थ न्यायालय ने विभाजन की प्राथमिक डिक्री भी जारी कर दी। अधीनस्थ न्यायालय ने इस कानूनी बिन्दु पर गौर नहीं किया कि हाल आराजी खसरा नम्बर 1345 रकवा 46 एयर गत रकवा 01 बीघा 14 विस्वा व 19 विस्वा कुल 02 बीघा 13 विस्वा से बना है। जिसका कि आपस में खातेदारान के मध्य बॅटवारा हो गया था। रैस्पों0 संख्या 02 लगायत 5, 19 विसवा के खातेदार काश्तकार थे और दोंनो साविक नम्बरान अलग–अलग 600, 597, 599 से बने थे एवं खातेदारान के मध्य विभाजन हो गया था। आराजी खसरा नम्बर 600 रकवा 01 बीघा 14 विस्वा की अलग से चार दीवारी अपीलाण्ट एवं तरतीवी रैस्पो0 से बना रखी थी और नौहरे के काम में ले रहे थे। इसके अतिरिक्त उनका यह भी कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय रैस्पो0 संख्या 01 का पूर्व में विभाजन होने पर भी दावा को डिक्री करते समय विभाजन की गलत डिक्री दी है क्योंकि 01 बीघा 14 विस्वा व 19 विस्वा अलग–अलग थे औरा दोनों की बाउण्ड्री हो रही है एवं खातेदारान उसे अकृषि कार्य में ले रहे हैं। अतः दावा विभाजन कतई मैन्टेबिल नहीं था। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर, अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश को निरस्त किये जाने का निवेदन किया।

अखिलेश कुमार पिपल
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज०)

है। अतः दस्तावेजी साक्ष्य के अभाव में मौखिक कथन प्रभावहीन है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर हम अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय को किसी प्रकार विधि की मंशा के विपरीत नहीं पाते हैं। लिहाजा अपील अपीलाण्ट खारिज योग्य समझतें हैं।

7. अतः आदेश है कि अपील अपीलाण्ट खारिज की जाती है। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री दिनांक 14.12.2016 यथावत रखे जाते हैं। पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर नम्बर से कम की जावें तथा बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हों। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रति के साथ वापस लौटाया जावें।

निर्णय आज दिनांक 18.03.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले इजलास सुनाया गया।

18.03.2021

(अखिलेश कुमार पिपल)
आर.ए.एस.
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर